REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 997]	नई दिल्ली <i>,</i> मंगलवार, मार्च 13, 2018⁄फाल्गुन 22, 1939
No. 997]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2018/PHALGUNA 22, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2018

का.आ. 1117(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथानिर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण		
(1)	(2)	(3)		
507	151ए	गुजरात राज्य में द्वारका के निकट रारा-51 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खाम्बालिया, जामनगर, धरोल, अमरान को जोड़ते हुए और मालिया के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग [विद्यमान किमी. 125 से धरोल जंक्शन (77.80 किमी.) तक और पिपलिया जंक्शन से मलिया जंक्शन (24 किमी.) को छोडकर]।		

[फा. सं. एनएच-14012/12/2016-पी ,एंड एम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 896(अ), दिनांकित 03.03.2018 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2018

S.O. 1117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
507	151A	The highway starting from its junction with NH 51 near Dwarka connecting Khambaliya, Jamnagar, Dhrol, Amran and terminating at its junction at NH 27 near Maliya in the State of Gujrat [excluding from existing km. 125 to Dhrol Junction (77.80 kms) and from Pipalia junction-Maliya Junction (24 kms)].

[F. No. NH-14012/12/2016-P&M] (Pt.)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 896(E), dated 03.03.2018.